Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **भरतपुर में राजकीय जनाना अस्पताल का कम्प्यूटर ऑपरेटर (संविदाकर्मी) 5 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **स्त्री रोग विशेषज्ञ मौके से फरार**
- **आरोपियों के आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी**

जयपुर, *09 जुलाई।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर भरतपुर इकाई द्वारा आज शुक्रवार को कार्यवाही करते हुये सहदेव कम्प्यूटर ऑपरेटर (संविदाकर्मी) राजकीय जनान अस्पताल, भरतपुर को परिवादी से 05 हजार रुपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की भरतपुर इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसकी पत्नी का बच्चेदानी का ऑपरेशन करने की एवज में डॉ सुनील मीणा स्त्री रोग विशेषज्ञ, राजकीय जनाना अस्पताल, भरतपुर द्वारा सहदेव कम्प्यूटर ऑपरेटर (संविदाकर्मी) के माध्यम से 05 हजार रुपये रिश्वत राशि मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी भरतपुर इकाई के **उप अधीक्षक पुलिस श्री परमेश्वर लाल** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज उनकी टीम द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुये सहदेव पुत्र श्री उदयसिंह जाट निवासी डहरा, पुलिस थाना लखनपुर, जिला भरतपुर हाल कम्प्यूटर ऑपरेटर (संविदाकर्मी) राजकीय जनाना अस्पताल, भरतपुर को डॉ सुनील मीणा स्त्री रोग विशेषज्ञ के कहने पर परिवादी से 05 **हजार रुपये की रिश्वत** राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। उल्लेखनीय है कि आरोपी डॉ सुनील मीणा स्त्री रोग विशेषज्ञ, राजकीय जनाना अस्पताल, भरतपुर ए.सी.बी. कार्यवाही की भनक लगने पर मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश जारी है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपियों के आवास एवं अन्य ठिकानों की ए.सी.बी. टीमों द्वारा तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** **1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।